महावीर कुमार जैन

बनाम

आयकर आयुक्त, जयपुर

(सिविल अपील क्रमांक 4166 वर्ष 2006)

अप्रैल 19, 2018

[आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

आयकर अधिनियम, 1961:

धारा 5 - के अंतर्गत करयोग्यता - लॉटरी से आय - जब ऐसी आय पर सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 के तहत पहले से ही कर लगाया गया था - माना गया: किसी कर संबंधी क़ानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि इसका प्रभाव कर के भुगतान के लिए दोगुना बोझ डालना हो, जब तक कि क़ानून की भाषा इतनी बाध्यकारी न हो कि अदालत के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न हो - उचित संदेह की स्थिति में, करदाता के लिए सर्वाधिक लाभकारी निर्माण को अपनाया जाना चाहिए - ऐसे में दोहरे कराधान पर कोई रोक नहीं है जब तक कि विधायिका में उस संबंध में कोई विशेष प्रावधान न हो - वर्तमान मामले में चूंकि आईटी अधिनियम लॉटरी से आय को शामिल करने का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए निर्धारिती पर दोहरा कराधान नहीं लगाया जा सकता है - चूंकि प्रासंगिक लेखांकन वर्ष के लिए सिक्किम भारत का हिस्सा है, एक बार जब निर्धारिती ने सिक्किम में प्रासंगिक समय पर लागू कानून के अनुसार आयकर का भुगतान कर दिया है, तो वही आय आईटी अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं थी - संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के खंड (के) के मद्देनजर भी, आयकर पर केवल सिक्किम नियम लागू होंगे -सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 - भारत का संविधान - अनुच्छेद 371एफ (के) - क़ानून की व्याख्या।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा सिक्किम राज्य में राशि अर्जित की गई है और लॉटरी पुरस्कार की राशि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर सिक्किम सरकार द्वारा जयपुर भेजी गई थी। इसलिए, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होगी, मौजूदा सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 लागू होंगे। चूंकि लेखांकन वर्ष के लिए सिक्किम भारत का एक हिस्सा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही आय पर दो प्रकार के आयकर लागू नहीं किए जा सकते हैं। [पैरा 9,10] [882-सी-ई]

2. दोहरे कराधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते विधायिका में इस संबंध में एक विशेष प्रावधान हो। आईटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी निर्धारिती द्वारा लॉटरी टिकट से होने वाली ऐसी आय को शामिल करने के लिए विधायिका द्वारा कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया हो। ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, वर्तमान मामले में निर्धारिती पर दोहरा कराधान नहीं लगाया जा सकता है। [पैरा 13] [883-ए-सी]

जैन ब्रदर्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1970) 77 आईटीआर 107 (एससी) - पर निर्भर।

लक्ष्मीपत सिंघानिया बनाम आयकर आयुक्त, उ.प्र. (1969) 72 आईटीआर 291 - संदर्भित।

3. किसी कर संबंधी क़ानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि इसका प्रभाव करदाता पर कर के भुगतान के लिए दोगुना बोझ डालना हो, जब तक कि क़ानून की भाषा इतनी बाध्यकारी न हो कि अदालत के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न हो।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उचित संदेह के मामले में, करदाता के लिए सबसे अधिक लाभकारी निर्माण को अपनाया जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले में आय केवल एक कानून के तहत कर योग्य है। [पैरा 13] [883-सी]

4. संविधान के अनुच्छेद 371एफ के खंड (के) के आधार पर, जो एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होता है, यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान मामले में आयकर पर केवल सिक्किम नियम लागू होंगे। इसलिए, आईटी अधिनियम की दरों को लागू करके आय को आगे कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। [पैरा 13] [883-डी]

5. एक बार जब निर्धारिती ने सिक्किम राज्य में प्रासंगिक समय पर लागू कानून के अनुसार स्रोत पर आयकर का भुगतान कर दिया है, तो वही आय आईटी अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य नहीं थी। [पैरा 14] [883-ई ]

केस कानून संदर्भ

(1969) 72 आईटीआर 291 पैरा 11 को संदर्भित करता है

(1970) 77 आईटीआर 107 (एससी) पैरा 11 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4166 वर्ष 2006

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खंडपीठ, जयपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 10.09.2004 के विरुद्ध डीबी आयकर संदर्भ संख्या 40/1995 में।

संजय झंवर, तनुज अग्रवाल, तरूण गुप्ता अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

यशांक पी. अधियारु, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री पूर्णिमा भट्ट काक, सुश्री साधना संधू (श्रीमती अनिल कटियार के लिए) प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान अपील डीबीआईटी संदर्भ संख्या 40 वर्ष 1995 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.09.2004 के खिलाफ दायर की गई है। जिसमें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने राजस्व के पक्ष में और अपीलकर्ता-निर्धारिती के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम) की धारा 256 (1) के तहत संदर्भित प्रश्नों का उत्तर दिया।

2. आगे बढ़ने से पहले, इस त्वरित अपील में शामिल मुद्दे की उचित सराहना करने के लिए तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित है: -

क) यहां अपीलकर्ता जयपुर राजस्थान का निवासी है, जिसकी व्यवसाय और संपत्ति से आय है, उसने 20.02.1986 को गंगटोक में निदेशक राज्य लॉटरी सरकार द्वारा आयोजित सिक्किम गंगटोक राज्य लॉटरी के 287 वें बम्पर ड्रा में 20 लाख रुपये का पहला पुरस्कार जीता। 20 लाख रुपये में से अपीलकर्ता को 16,20,912/- रुपये दो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 8,10,000/- रुपये और 8,10,912/- रुपये प्राप्त हुए। सिक्किम राज्य आयकर नियम 1948 के तहत एजेंट/विक्रेता के कमीशन के रूप में 2 लाख रुपये और आयकर के रूप में 1,79,088/- रुपये की कटौती के बाद प्रत्येक।

बी) अपीलकर्ता ने निर्धारण वर्ष (वार्षिक वर्ष) 1986-87 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें लॉटरी से 20 लाख रुपये की आय का खुलासा किया गया और उसमें से एजेंट/विक्रेता का कमीशन 2 लाख रुपये काट लिया गया। उन्होंने आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत 20,00,000/- रुपये पर कटौती का दावा किया, यानी चार्जिंग धारा के प्रावधानों के अनुसार लॉटरी में जीती गई पुरस्कार राशि की कुल राशि।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सी) जांच करने पर निर्धारण अधिकारी (एओ) ने दिनांक 08.01.1988 के आदेश के तहत आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत 20 लाख रुपये के बजाय 18 लाख रुपये पर कटौती की अनुमति दी। यह मानते हुए कि सिक्किम सरकार ने 18 लाख रुपये की लॉटरी राशि से स्रोत पर कर काट लिया था क्योंकि 2 लाख रुपये सीधे एजेंट को भुगतान किए गए थे। दूसरे शब्दों में, आईटी अधिनियम की धारा 80TT के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, कटौती का दावा केवल लॉटरी से शुद्ध आय पर किया जा सकता है, न कि सकल आय पर। उक्त आदेश की पुष्टि आयकर आयुक्त, (अपील), राजस्थान-द्वितीय, जयपुर द्वारा दिनांक 31.10.1988 के आदेश से की गई।

डी) व्यथित होकर, वर्तमान अपीलकर्ता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण'), जयपुर पीठ के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत कटौती के आकलन अधिकारी (एओ) द्वारा गणना को चुनौती दी गई। यहां अपीलकर्ता - निर्धारिती ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अतिरिक्त आधार उठाया और दावा किया कि नीचे दिए गए अधिकारियों ने सिक्किम सरकार की लॉटरी आय को आईटी अधिनियम के तहत आय के रूप में मानने में कानून में घोर गलती की है। हालाँकि ट्रिब्यूनल ने दिनांक 26.02.1993 के आदेश के तहत आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी, लेकिन उसने मूल्यांकन आदेश की वैधता के बारे में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और माना कि लॉटरी राशि आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर योग्य है।

ई) हालाँकि, यहां अपीलकर्ता - निर्धारिती के कहने पर, ट्रिब्यूनल ने आईटी अधिनियम के तहत कुछ प्रश्न तैयार किए और उन्हें संदर्भ के लिए उपयुक्त कानून के प्रश्नों पर विचार करते हुए राय के लिए उच्च न्यायालय में भेजा, जो इस प्रकार हैं:

"1. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थिति के आधार पर, माननीय न्यायाधिकरण का यह मानना उचित था कि सिक्किम राज्य लॉटरी से होने वाली आय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य है?

2. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि धारा 80TT के तहत कटौती निर्धारिती द्वारा प्राप्त शुद्ध विजेता राशि पर लागू होती है, न कि विजेता पुरस्कार की कुल राशि पर?

च) उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 10.09.2004 के फैसले और आदेश के तहत उठाए गए सवालों का सकारात्मक जवाब दिया।

छ) दिनांक 10.09.2004 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने इस अदालत के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलकर्ता- निर्धारिती के विद्वान वकील श्री संजय झंवर और प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यशांक पी. अधियारु को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

विचारार्थ बिंदु

4. वर्तमान मामले में विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या लॉटरी से अर्जित आय आईटी अधिनियम के तहत कर योग्य है, खासकर जब ऐसी आय पर सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 के प्रावधानों के तहत पहले से ही कर लगाया गया हो। यदि हां, तो क्या आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत ऐसी आय पर कटौती की अनुमति "सकल आय" पर है या "शुद्ध आय" पर है।

प्रतिद्वंद्वी विवाद:

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में भारी गलती की है कि आईटी अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू होते हैं

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

क्योंकि उक्त अधिनियम के प्रावधान केवल 01.04.1989 से सिक्किम राज्य तक विस्तारित हैं और इसलिए इस तिथि से पहले सिक्किम राज्य में अर्जित आय पर आईटी अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता था और यह सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 के तहत कर योग्य था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश वैध नहीं है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371एफ के प्रावधान, विशेष रूप से उसके खंड (के) और (एन) सिक्किम के क्षेत्रों में प्रचलित सभी कानूनों के संबंध में लागू होते हैं, जो 31 मार्च .1989 तक सिक्किम राज्य में आईटी अधिनियम के आवेदन को रोकते हैं। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित और वैध नहीं है क्योंकि भारत संघ और सिक्किम राज्य दोनों द्वारा एक ही आय पर कर लगाना दोहरे कराधान के सिद्धांत के विपरीत है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह मानने में भारी गलती की कि आईटी अधिनियम की धारा 80टीटी के तहत कटौती एजेंट/विक्रेता कमीशन में कटौती के बाद निर्धारिती द्वारा प्राप्त शुद्ध जीत राशि पर लागू होती है, न कि विजेता पुरस्कार की कुल राशि पर।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया है। ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि मूल्यांकन वर्ष के दौरान सिक्किम से लॉटरी जीतने से होने वाली आय राजस्थान राज्य के भीतर भारत के निवासी के रूप में निर्धारिती के हाथों में शामिल होने के लिए उत्तरदायी थी, जहां आईटी अधिनियम लागू था, इसके बावजूद कर योग्य क्षेत्र के बाहर उसे अर्जित होने वाली आय के संबंध में भी, ऐसे स्थान पर अर्जित या उत्पन्न हुआ था जहां 1961 का अधिनियम लागू नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि इस सवाल पर कि "क्या ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत कटौती निर्धारिती द्वारा प्राप्त शुद्ध जीत राशि पर लागू थी, न कि विजेता पुरस्कार की कुल राशि पर, उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में और यहां अपीलकर्ता के खिलाफ सकारात्मक उत्तर दिया - निर्धारिती ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत कटौती सकल कुल आय के लिए संदर्भित नहीं है, बल्कि शुद्ध आय के लिए संदर्भित है।

बहस:-

7. इससे पहले कि हम इस अपील में उठाए गए मुद्दों पर जाएं, भारतीय संविधान के तहत सिक्किम की स्थिति का अंदाजा लगाना जरूरी होगा। 26.04.1975 से पहले सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था। वहां से अर्जित या उत्पन्न होने वाली किसी भी आय को किसी भी विदेशी देश में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय के रूप में माना जाएगा। हालाँकि, 1975 में भारतीय संविधान में 36वें संशोधन द्वारा, सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। यह संशोधन संविधान में अनुच्छेद 371F को शामिल करके किया गया था। 26 अप्रैल, 1975 से भारत के संविधान में अनुच्छेद 371एफ को शामिल करने के संक्षिप्त इतिहास की पृष्ठभूमि में, अब हम अनुच्छेद 371एफ का संदर्भ उस सीमा तक ले सकते हैं, जहां तक यह प्रासंगिक है: -

“371एफ. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान-इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी।-XXXXX

(के) सिक्किम राज्य या उसके किसी भी हिस्से में शामिल क्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले लागू सभी कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता;

(एन) "राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सिक्किम राज्य पर ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ विस्तार कर सकते हैं जैसा वह उचित समझते हैं, कोई भी अधिनियम जो अधिसूचना की तारीख में भारत के किसी राज्य में लागू है।"

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी कानून जो 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम राज्य या उसके किसी भी हिस्से के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू थे, उनका उद्देश्य परिवर्तन या निरस्त होने तक लागू रहना था। इसलिए, विलय से पहले लागू कानून लागू रहेगा। वास्तव में, आईटी अधिनियम केवल 1989 में की गई अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था और पहला मूल्यांकन वर्ष 1990-91 होगा और इस अधिनियम के लागू होने से, सिक्किम राज्य आयकर मैनुअल, 1948 निरस्त हो गया। हालाँकि वर्तमान मामले में, हम मूल्यांकन वर्ष 1986-87 से चिंतित हैं, और, इस समय के दौरान, आईटी अधिनियम को सिक्किम के क्षेत्रों पर लागू नहीं किया गया था। आईटी अधिनियम के अनुरूप कानून, जो संबंधित राज्य में तुरंत लागू था, सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 था। इसलिए, दो स्थितियाँ हो सकती हैं, पहली यह कि व्यक्ति 1975-1990 की समयावधि के दौरान सिक्किम का निवासी था और आय उसे वहीं से अर्जित और प्राप्त हुई। ऐसे में आईटी एक्ट लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालाँकि, समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ आय सिक्किम राज्य के एक व्यक्ति को मिलती है जो सिक्किम का नहीं बल्कि भारत के किसी अन्य हिस्से का निवासी था। सवाल यह उठता है कि क्या आईटी अधिनियम के प्रावधान ऐसी आय पर लागू होते हैं और क्या उस पर उक्त अधिनियम के तहत कर लगाया जा सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि आय पहले ही सिक्किम राज्य आयकर नियम 1948 के तहत कर के अधीन हो चुकी है।

8. निर्धारिती का मामला यह है कि निवास स्थान की परवाह किए बिना आय अर्जित हो रही है या सिक्किम में उत्पन्न होने वाली आय संविधान के अनुच्छेद 371 एफ के खंड (के) के अनुसार भारत में कर योग्य नहीं होगी और केवल सिक्किम राज्य आयकर नियम 1948 के तहत कर योग्य है। यह विवाद गलत धारणा पर आधारित प्रतीत होता है और उक्त तर्क का सरल उत्तर यह है कि यद्यपि आईटी अधिनियम विभिन्न अन्य देशों पर लागू नहीं है, लेकिन फिर भी विदेशों में होने वाली आय पर कर लगाया जा सकता है, बशर्ते कि करदाता वहां का निवासी हो और सामान्य तौर पर निवासी और इसके अलावा भारत का हिस्सा माने जाने वाले किसी भी क्षेत्र में अर्जित या प्राप्त आय आईटी अधिनियम के दायरे में है।

9. अपीलकर्ता को राजस्थान का निवासी होने के नाते प्रश्नगत निर्धारण वर्ष के दौरान सिक्किम से लॉटरी जीतने से प्राप्त आय राजस्थान राज्य के भीतर भारत के निवासी के रूप में निर्धारिती के हाथों में शामिल होने के लिए उत्तरदायी थी, जहां आईटी अधिनियम लागू था। इस बात के बावजूद कि यह उसे ऐसे स्थान पर अर्जित या उत्पन्न हुआ था जहां आईटी अधिनियम लागू नहीं था, यहां तक कि कर योग्य क्षेत्र के बिना उसे अर्जित आय के संबंध में भी। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, आईटी अधिनियम की धारा 5 का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है: -

"5-कुल आय का दायरा:-(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय शामिल है-

(ए) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया हुआ समझा जाता है; या

(बी) ऐसे वर्ष के दौरान भारत में अर्जित या उत्पन्न हुआ या अर्जित या उत्पन्न माना गया; या

XX XXX"

आईटी अधिनियम की धारा 5 के शब्दों से पता चलता है कि यह एक बहुत व्यापक जाल बिछाता है और दुनिया में कहीं भी होने वाली सभी आय को इसके दायरे में लाया जाएगा। दोनों खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अर्जित या प्राप्त कोई भी आय आईटी अधिनियम के तहत कर उद्देश्यों के लिए उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि राशि अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा सिक्किम राज्य में अर्जित की गई है और लॉटरी पुरस्कार की राशि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर सिक्किम सरकार द्वारा जयपुर भेजी गई थी।

10. इसलिए, परिणाम यह है कि, जबकि आईटी अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होगी, मौजूदा सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 लागू होंगे। इस प्रकार, आय पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर सिक्किम राज्य आयकर नियम, 1948 के तहत देय होगा, न कि आईटी अधिनियम के तहत। चूंकि लेखांकन वर्ष के लिए सिक्किम भारत का एक हिस्सा है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही आय पर दो प्रकार के आयकर लागू नहीं किए जा सकते हैं।

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, लक्ष्मीपत सिंघानिया बनाम आयकर आयुक्त, यूपी (1969) 72 आईटीआर 291 एट 294 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा जिसमें इस न्यायालय ने देखा है कि "यह कराधान के कानून का एक मौलिक नियम है कि, जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, आय पर दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है"।

12. इसके अलावा, जैन ब्रदर्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1970) 77 आईटीआर 107 (एससी) में इस न्यायालय के एक फैसले में, इसे निम्नानुसार माना गया है: -

“6 यह विवादित नहीं है कि यदि विधायिका ने स्पष्ट रूप से इसे अधिनियमित किया है तो दोहरा कराधान हो सकता है। ऐसा केवल तब होता है जब कराधान के सामान्य शब्द होते हैं और उनकी व्याख्या की जानी होती है, उनकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि विषय पर एक ही कर पर दो बार कर लगाया जाए...

यदि कोई दोहरा कराधान शामिल है, तो विधानमंडल ने स्वयं, स्पष्ट शब्दों में, इसे मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह सामान्य सिद्धांतों को लागू करने के लिए किसी के लिए खुला नहीं है कि विषय पर दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है।

13. उपरोक्त संदर्भित मामले यह स्पष्ट करते हैं कि दोहरे कराधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते विधायिका में इस संबंध में एक विशेष प्रावधान हो। अब एकमात्र सवाल यह तय होना बाकी है कि क्या वास्तव में 01.04.1990 से पहले और 1975 के बाद सिक्किम लॉटरी टिकट से अर्जित आय को आयकर रिटर्न में शामिल करने का कोई विशेष प्रावधान है या नहीं। हमने प्रासंगिक प्रावधानों का अध्ययन किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आईटी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें लॉटरी टिकट से निर्धारिती द्वारा ऐसी आय को शामिल करने के लिए विधायिका द्वारा कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया हो। ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, वर्तमान मामले में निर्धारिती पर दोहरा कराधान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी कर संबंधी क़ानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि इसका प्रभाव करदाता पर कर के भुगतान के लिए दोगुना बोझ डालना हो, जब तक कि क़ानून की भाषा इतनी बाध्यकारी न हो कि अदालत के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न हो। . उचित संदेह के मामले में, करदाता के लिए सबसे अधिक लाभकारी निर्माण को अपनाया जाना चाहिए। तो, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में आय केवल एक कानून के तहत कर योग्य है। संविधान के अनुच्छेद 371एफ के खंड (के) के आधार पर, जो एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होता है, यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान मामले में आयकर पर केवल सिक्किम नियम लागू होंगे। इसलिए, आईटी अधिनियम की दरों को लागू करके आय को आगे कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

14. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर हमारा मानना है कि एक बार जब निर्धारिती ने सिक्किम राज्य में प्रासंगिक समय पर लागू कानून के अनुसार स्रोत पर आयकर का भुगतान कर

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिया है, तो वही आय आईटी अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य नहीं थी। ऐसा निर्णय लेने के बाद, दूसरा मुद्दा यह है कि क्या आईटी अधिनियम की धारा 80 टीटी के तहत कटौती की अनुमति दी जाने वाली आय 'शुद्ध आय' या 'सकल आय' पर है, यह अकादमिक हो जाता है।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019



अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"